श्रीराम व अन्य बनाम जेठाराम व अन्य
प्रकरण संख्या 091/2019

20.05.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि- वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवानी वाद पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत मुरब्बा नं0 35 की कृषि भूमि वाके चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के संबंध में पेश किया है। वाद में दर्ज अन्य धाराओं में न तो प्रार्थी/प्रतिवादी के खिलाफ कोई अनुतोष चाहा है एवं ना ही कोई अभिकथन अंकित किये गये है। मौजूदा प्रार्थना पत्र का निस्तारण कब्जा वाद पत्र के अभिवचाने से किया जाता है जिस हेतु जवाब की आवश्यकता नहीं है एवं ना ही कोई मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता है। प्रतिवादी संख्या 02 को पतराम की पत्नी सरदारी ने चक 4 सी बड़ी का मुरब्बा नं0 35 का किला नं0 3 में 10 बिस्वा, 4, 5, 24, 25 कुल 4.10 बघा ठेका पर दिनाक 30.04.2017 से 13.04.2018 तक ठेका पर दिया था जिसके मरने के बाद नाजायज कब्जा कर लिया। उतमाराम अथवा सरदारी ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कभी किसी रकबा का बेचान आदि नहीं किया। उपरोक्त तथ्यों पर अनुतोष चाहा है। वादी के द्वारा स्वयं वाद पत्र के अभिवचनों में तथ्यों का छुपाते हुए प्रत्यक्ष रूप से अंकित किया है कि पतराम अथवा सरदारी ने बेचान नहीं किया जबकि बेचान से सही तथ्यों को वादी ने छुपाया है सही तथ्य यह है कि पतराम उर्फ रामप्रताप ने अपने जीवनकाल में दिनांक 24.01.2009, 27.02.2009 से उक्त वर्णित भूमि का बेचान किया। पतराम उर्फ रामप्रताप के देहान्त उपरान्त उसकी पत्नी सरदारी ने दिनांक 09.02.2015 को एवं स्वयं वादी श्री राम ने दिनांक 26.03.2012 को तथा दोनों वादीगण ने दिनांक 17.02.2020 को बेचान की दृष्टि करते हुए एवं प्रार्थी/प्रतिवादी का कब्जा 4.10 बीघा पर अधिकार बतौर खरीददार होना स्वीकार करते हुए दस्तावेज शपथ पत्र व इकरारनामा राजीनामा निष्पादित किये जिनके अस्तित्व में रहते न तो वादीगण, प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 अतिकमी कह सकते है एव ना ही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 अतिकमी की परिभाषा में आता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 बतौर खरीददार इकरारनामा के आधार पर काबिज है तो अतिकमी कहकर धारा 183 का वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक वादीगण को हासिल नहीं होने के कारण वाद वादीगण, प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध वाद हेतुक के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। इकरारनामा के आधार पर प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से विनिर्दिष्ट पालना का वाद सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है जिसका सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अनवानी वाद प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की हद तक वाद हेतुक के अभाव में निरस्त फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– जगतराम पुत्र मोतीराम को चक 4 सी बड़ी खाता संख्या 111/97 मुरब्बा नं0 22 एवं मुरब्बा नं0 35 में 25 बीघा रकबा भारत सरकार द्वारा अलाट किया गया था। बरवक्त अलाटमेंट जगतराम पुत्र मोतीराम, जैसा पत्नी जगतराम, [illegible] पतराम पुत्र जगतराम, भूरी पुत्री जगतराम को आवंटन किया गया था। [illegible] की मृत्यु हो चुकी है तथा जैसा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसमें पतराम का स्वंय का 1/5 हिस्सा [illegible] माता–पिता का हिस्सा बनता है। पतराम की भी स्वर्गवास दिनांक 24.05.2009 को हो गया है। पतराम का कोई लड़का–लड़की नहीं थी बल्कि पतराम के मरने के बाद उसकी पत्नी सरदारी थी, सरदारी का भी स्वर्गवास हो चुका है चूंकि पतराम व सरदारी के प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं था इसलिए द्वितीय श्रेणी के वारिस पतराम के भाई की औलाद प्रार्थीयान थी क्योंकि गोविन्दराम का भी स्वर्गवास हो चुका था तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

सरदारी पतराम की पत्नी के मरने के बाद यानि कि सरदारी ने यह जमीन दिनांक 30.04.2017 से 13.04.2018 को ठेके पर दी थी इसी बीच में सरदारी की मृत्यु दिनांक 12.12.2017 को हो गयी थी। अप्रार्थीयान ने इस पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीयान ने वाद प्रस्तुत किया। यह कहना गलत है कि पतराम ने दिनांक 24.01.2009 व दिनांक 27.01.2009 को जमीन का बेचान किया हो जबकि जिस जमीन का हवाला दे रहे है वह जमीन पतराम के नाम नहीं थी, ना ही इस जमीन की खातेदारी सनद जारी की गयी थी, ना ही जमीन का बंटवारा किया गया था इसलिए बेचान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह कहना भी सरासर गलत है कि सरदारी ने दिनांक 09.02.2015 व दिनांक 26.03.2012 व दिनांक 17.02.2020 को बेचान की पुष्टि की हो क्योंकि वादी के नाम रकबा दर्ज ही नहीं है तो पुष्टि करने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। सरदारी के खिलाफ दावा किया था उसके मरने के बाद वादीगण को पक्षकार बनाया गया था तथा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो गया था। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2022(2) DNJ (Rev.) 1324, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2023(1) RRT 352, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2021(1) RRT 518, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2022(2) DNJ (Rev.) 1422, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2022-23(Supp.) RRT 354, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(2) DNJ (Rev.) 8... RAJASTHAN HIGH COURT 2022 (2) RRT 11 पेश किये। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर के निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मय खर्चा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण मे केवल वादपत्र पढा जाता है एवं वाद पत्र के कथनो की सही अभिधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में अनुतोष मांगा गया है व प्रमुखतः प्रतिवादीगण द्वारा 7 बीघा 10 बिस्वा पर नाजायज कब्जा होने व बेदखली करने के सम्बन्ध में मांगी गयी है तथा वादीगण को विवादित भूमि में स्व0 पतराम के हिस्सा की भूमि को खातेदारी घोषित करवाने (बकौल वादी स्व0 पतराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस होने से) से संबंधित है। प्रार्थी/प्रतिवादी का भूमि पर इकरारनामा के आधार पर खरीददार होने की हैसियत से काबिज होना बताया गया है जिस संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की ओर विनिर्दिष्ट पालना का वाद सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में जैरकार होना अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। द्वितीयतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का कोई प्रावधान नही है। एवं माननीय राजस्व मण्डल की पूर्णपीठ द्वारा 2015 आर.आर.डी 556 में प्रतिपादित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र संख्या 2019/091 अनवान श्रीराम व अन्य बनाम जेठाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 91, 183, 209 आरटीए वर्तमान स्वरूप में खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पत्रावली दायरा पंजिका के नम्बर कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20.05.2025 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर